

कार्यालय: वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी  
पत्रांक- 782 / 33-1 / दिनांक, सितम्बर 05, 2022।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईड्रिल कालौन सिविल लाईन, झांसी द्वारा 33/11 के०वी०एम०ई०एस० बबीना 220 के०वी० उप केन्द्र से 33 के०वी० की नई विद्युत (डबल लाईन) के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में झांसी-ललितपुर मार्ग की 0.0555 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बबीना पन्ती व सेंधनी आरक्षित वन ब्लाकों की 2.448 हे० आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु एवं प्रभावित 391 वृक्षों की शाख तरासी के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०- FP/UP/Trans/144301/2021

संदर्भ - 1. आपका पत्रांक-3576/11-सी, दिनांक -16.06.2022।  
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक- 668/15-1, दिनांक- 02.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 02.09.2022 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संस्तुति सहित संशोधित अभिलेख इस कार्यालय को प्रस्तुत किये है जिनके परीक्षणोपरान्त संशोधित पूरक अभिलेख तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक- 1. पूरक अभिलेख तीन प्रतियों में।  
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक- 668/15-1, दिनांक- 02.09.2022।

भवदीय  
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या- 782 / समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 668 /15-1 दिनांक, झांसी, अगस्त 02 2022  
 सेवा में, खिताब

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
 बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी ।

विषय:- जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाइड्रिल कालौनी सिविल लाइन, झांसी द्वारा 33/11 के०वी०एम०ई०एस० बबीना 220 के०वी० उपकेन्द्र से 33 के०वी० की नई विद्युत (डबल लाइन) के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में झांसी-ललितपुर मार्ग की 0.0555 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बबीना पन्ती व सेंधनी आरक्षित वन ब्लाकों की 2.448 हे० आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु एवं प्रभावित 391 वृक्षों की शाख तरासी के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/04/63/2022/FC/124, दि० 14.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का कार्यालय पत्रांक-3576/11-सी, दिनांक 16.06.2022 प्रस्ताव सं० FP/UP/Trans/144301/2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा 07 बिन्दुओं की आपत्तियां दर्शायी गयी। उक्त आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित कि आपत्तियों का निराकरण अभिलेख संस्तुति सहित 03 प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	As per the SOI toposheet the demarcation of the forest (RF) areas in the kml file is undervalued. The kml file of the proposed diverted area needs clarification/rectification.	SOI टोपोशीट एवं kml फाइल दोनों में एरिया केलकुलेशन समान है तथा प्रस्तावित किये गये क्षेत्र का निर्धारण समीचीन रूप से किया गया है।
2	As per the SOI toposheet open scrub area is not included as forest land in the kml file of proposed diverted area this needs clarification.	SOI टोपोशीट में प्रदर्शित किये गये प्रस्तावित वनभूमि केवल संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि की परिधि में ही है। वन क्षेत्रफल के अतिरिक्त स्थित झाड़िया जो कि वनभूमि में नहीं आती है, को संदर्भित टोपोशीट में नहीं लिया गया है क्योंकि वे निर्धारित डॉग सरकार की सीमा के बाहर है।
3	As per the Google earth imageries dated 02.05.2020, plantation activity has been observed on the proposed CA land area.	SOI Analysis (CA साइड) की रिपोर्ट प्रस्ताव के पेज सं० 59 एवं 59/1 पर संलग्न है।
4	Administrative approval/sanction letter of the project needs to be provided.	प्रोजेक्ट के अनुमति पत्र की कॉपी हस्ताक्षरित प्रस्ताव के पेज सं० 96 पर संलग्न है।
5	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan needs to be submitted.	प्रस्तावित वनभूमि की गणना रिपोर्ट प्रस्ताव के पेज सं० 82 एवं 83 पर संलग्न है ।
6	Justification for location of the project in forest land (for non site specific projects) countersigned by DFO needs to be provided explaining way Reserve Forest cannot be avoided ?	अन्य मार्गों पर बबीना कस्बा व ग्रामवासियों का घर बना होने के कारण 33के०वी० की लाइन ले जाना सम्भव नहीं है। अतः कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उल्लिखित मार्ग को चुना गया है। कार्यदायी संस्था का प्रमाण पत्र भी संलग्न है।
7	Details of Alternative alignments needs to be provided in kml file and also on toposheets.	विषयांकित प्रस्ताव में एकल विद्युत लाइन के अतिरिक्त दो विकल्प लाइनों को SOI टोपोशीट के माध्यम से दर्शाते हुए प्रस्ताव के पेज सं० 86 एवं 87 एवं 78 पर मानचित्र के रूप में संलग्न है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

वन संरक्षक  
 5/9/22

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी महोदय, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

भवदीय  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 झांसी वन प्रभाग, झांसी

प्रभागीय वनाधिकारी  
 झांसी वन प्रभाग, झांसी